

प्रेस नोट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर दिनांक 19.11.2022

थाना कोतवाली मण्डी द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राशीद उर्फ चीता पुत्र अकबर निवासी पीर वाली गली नं0 4 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की जमानत निरस्त की गयी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशो / निर्देशो के अनुक्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त राशीद उर्फ चीता पुत्र अकबर निवासी पीर वाली गली नं0 4 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के विरुद्ध की गयी प्रभावी पैरवी के कारण अपराध सं0 349/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 423/2015 धारा 379 भादवि मे अभियुक्त की गई जमानत को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है । अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है । जो चोरी , अवैध शस्त्र रखने व मादक पदार्थो की बिक्री जैसे अपराध कारित करता है ।

नाम पता अभियुक्त.....

1. राशीद उर्फ चीता पुत्र अकबर निवासी पीर वाली गली नं0 4 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 348/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 169/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 251/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 423/2015 धारा 379/411 भादवि थाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 684/2019 धारा 379/411 भादवि थाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 195/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 349/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 445/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 430/2009 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर